न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/102/2023	26–07–2023	21–12–2023

01– सरकार जरिये श्री बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिसर अलवर, जिला अलवर राज0।

बनाम

01– श्री कमल शर्मा पुत्र श्री लीलाधर शर्मा, निवासी नांगल चौधरी महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।

02– मेसर्स श्रीराम ऐग्रो जेनेटिक्स बी–39 स्मॉल स्केल एण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा राज0।

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश बीज नियंत्रण 1983 के तहत हाईब्रिड बाजरा बीज 2475 कि.ग्रा. को राजसात करने बाबत्।

उपस्थितः–
01–विभागीय प्रतिनिधि
02–श्री धर्मेन्द्र यादव

:निर्णयः

बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिसर अलवर ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश बीज नियंत्रण 1983 के तहत हाईब्रिड बाजरा बीज 2475 कि.ग्रा. को दिनांक 23.05.2023 को सूर्या सिड्स बल्लाबोडा अलवर परिसर में स्थित गोदान का निरीक्षण किया गया। मौके पर श्री कमल शर्मा, श्री राजीव चौहान उपस्थित थे। उनसे बीज की बिक्री का लाइसेंस व भण्डारण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया। मौके पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर गोदाम में स्थित बाजरा बीजों की बिक्री पर रोक लगाकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया। मेसर्स सूर्या सिड्स एवं मेसर्स सूरज बायोटेक द्वारा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के आधार पर एवं दस्तावेज नियमानुसार होने के कारण बाजरा बिक्री पर रोक को आंशिक रूप से हटाया गया। मेसर्स श्रीराम एग्रो जेनेटिक्स द्वारा किसी प्रकार का जवाब व दस्तावेज पेश नहीं करने पर बीज नियंत्रण आदेश 1983 के क्लॉज 13 (ए, सी, डी) के तहत दिनांक 06.06.2023 को जब्ती की कार्यवाही की गयी। जिसमें हाईब्रिड बाजरा किस्म एस–999 लॉट नंबर एस.ए.सी–0–2199 बीज की मात्रा 990 किलोग्राम व हाईब्रिड बाजरा किस्म के–7701 लॉट नंबर एस.ए.सी.–17701 बीज की मात्रा 1485 किलोग्राम पायी गयी। कमल शर्मा द्वारा संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर बीज का व्यापार करना बीज नियंत्रण आदेश 1983 के क्लॉज 3, 8, 9 10 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त दो तरह के बाजरा बीजों का बगैर बीज अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से कारोबार व भंडारण किया जा रहा था। जब्त बीजों के दो नमूने आहरित किये गये जिनको राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भिजवाये गये। विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि फर्म द्वारा नकली बीजों का कारोबार तो नहीं किया जा रहा है। कमल शर्मा से जब्त किये गये बाजरा बीज 2475 किग्रा को अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड डी–10 कृषि उपज मंडी अलवर के कार्मिक श्री महेश चंद को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ली गयी है। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत जब्त बाजरा बीजों को राजसात करने व निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत जब्त बाजरा बीजों को राजसात करने व निस्तारण करने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मय वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या–1 ने निवेदन किया कि मौके पर कमल शर्मा द्वारा सभी दस्तावेज, बीज विक्री लाइसेंस व भंडारण से संबंधित दस्तावेजात उपलब्ध करवा दिये गये थे। इसके बावजूद भी बाजरा बीजों की विक्री पर रोक लगायी गयी है। मैसर्स श्रीराम एग्रो जेनेटिक्स द्वारा जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद जब्ती की कार्यवाही की गयी है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कानूनी उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रार्थी के पास वैद्य लाइसेंस मौजूद है। जिसके तहत प्रार्थी बीजों का बेचान व भंडारण करता है। श्रीराम एग्रो जेनेटिक्स बीज के लाइसेंस की प्रति संलग्न है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरुद्ध काई कार्यवाही नहीं करते हुए नोटिस से भार से मुक्त करने की कृपा करे। प्रार्थी के विरुद्ध कि गई 6ए की कार्यवाही ड्राप फरमाई जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिसर अलवर के पत्रांक 3438 दिनांक 11.08.2023 का अवलोकन किया गया। जिसमें जब्ती करने वाले निरीक्षक द्वारा यह निवेदन किया गया है कि फर्म श्रीराम एग्रो जेनेटिक्स के हाईब्रिड बाजरा किस्म एस–999 लॉट नंबर एस.ए.सी–0–2199 बीज की मात्रा 990 किलोग्राम व हाईब्रिड बाजरा किस्म के–7701 लॉट नंबर एस.ए.सी.–17701 बीज की मात्रा 1485 किलोग्राम को जब्त किया गया था। जब्ती के दौरान दो बाजरा बीज नमूने आहरित कर राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला भरतपुर को विश्लेषण हेतु भिजवाया गया था। प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट में उक्त नमूनों को मानक पाया गया है। हमने उक्त रिपोर्ट व अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। जब्त किये गये बाजरा बीज मुताबिक रिपोर्ट प्रयोगशाला मानक पाये गये हैं तथा प्रार्थी के पास फर्म के नाम से क्रय–विक्रय हेतु वैद्य लाइसेंस भी पाया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित आदेश बीज नियंत्रण 1983 के तहत हाईब्रिड बाजरा बीज 2475 कि.ग्रा. को राजसात करने बाबत् खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 खारिज कर बीज निरीक्षण एवं कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रकरण में जब्तशुदा हाईब्रिड बाजरा किस्म एस–999 लॉट नंबर एस.ए.सी–0–2199 बीज की मात्रा 990 किलोग्राम व हाईब्रिड बाजरा किस्म के–7701 लॉट नंबर एस.ए.सी.–17701 बीज की मात्रा 1485 किलोग्राम को अप्रार्थी संख्या–01 को लोटाया जावें।

निर्णय की प्रति बीज निरीक्षण एवं कृषि अधिकारी (मिशन) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)